रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224965
CG-DL-E-05022021-224965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
No. 500] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

का.आ. 551(अ).— भारत गणराज्य और इजरायल राज्य के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर 10 जनवरी, 2012 के जेरुसलम में हस्ताक्षर किए गए थे।

और, उक्त संधि के अनुच्छेद 24 के पैरा (2) के उपबंधों के अनुसार 1 अक्तूबर, 2017 से उक्त की गई संधि प्रवृत्तकत की गई थी।

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि, इस आदेश की अनुसूची में पूर्ण रूप से उपवर्णित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अध्याय-3 के उपबंधों से भिन्न उक्त अधिनियम के उपबंध, इजरायल राज्य पर, उक्त प्रत्यर्पण संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

भारत गणराज्य की सरकार और इजरायल राज्य की सरकार के बीच

प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य की सरकार और इजरायल राज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है;)

अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण के लिए और प्रावधान करके अपराध का दमन करने में दोनों देशों के सहयोग को और कारगर बनाने की इच्छा से;

यह स्वीकार करते हुए कि आतंकवाद सहित अपराध का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है;

निम्नानुसरा सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद - एक

प्रत्यर्पण करने का दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और शर्तों के अध्यधीन किसी ऐसे व्यक्ति को दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है जिस पर किसी एक पक्ष के क्षेत्र में इस संधि के अनुच्छेद-2 में यथावर्णित किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने का आरोप लगाया जा रहा है अथवा दोषसिद्ध है और वह दूसरे पक्ष के क्षेत्र के भीतर पाया गया है, चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किया गया हो;

2. इस संधि के अनुच्छेद-2 में यथावर्णित प्रत्यर्पण ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के सबंध में भी लागू होगा, जो आनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र से बाहर किया गया हो, परंतु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार है, बशर्ते अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के पास समान परिस्थितियों में ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार हो। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

(क) यदि वह अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के किसी राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे देश में किया गया हो और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अपना क्षेत्राधिकार अपराधी की राष्ट्रिकता पर आधारित करे; और

(ख) यदि वह अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में हुआ हो और वह अपराध उस देश के कानून के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष के कारावास की सजा के लिए दंडनीय हो।

अनुच्छेद -दो

प्रत्यर्पण अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पण अपराध एक ऐसा अपराध है, जो प्रत्येक संविदाकारी देश के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारावास की सजा के लिए दण्डनीय हो।

2. यदि किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण मंजूर किया जाता है तो वह अनुरोध में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अपराध के लिए भी मंजूर किया जा सकता है चाहे वह बाद में किया गया अपराध एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास की सजा द्वारा दण्डनीय हो, बशर्ते कि प्रत्यर्पण के लिए अन्य सभी अपेक्षाएं पूरी होती हो।

अनुच्छेद- तीन

मिश्रित अपराध

प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा, चाहे वांछित व्यक्ति का आचरण अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अंजाम दिया गया हो बशर्ते कि सदृश परिस्थितियों में ऐसे अपराधों

पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र का क्षेत्राधिकार हो। प्रत्यर्पण पर विचार करते हुए अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र आचरण और उसके प्रभावों या उसके कुल मिलाकर संभावित प्रभावों पर विचार कर सकता है।

अनुच्छेद - चार

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

1. दोनों में से कोई भी पक्षकार इस संधि के तहत अपने स्वयं के राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

2. यदि प्रत्यर्पण का इन्कार मात्र वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता के आधार पर किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर इस मामले को अभियोजन के लिए उसके प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

3. राष्ट्रीयता का निर्धारण उस अपराध किए जाने के समय के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

अनुच्छेद - पांच

राजनैतिक अपराध

1. प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है यदि वह अपराध जिसके लिए यह अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का हो।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा:-

(क) ऐसा अपराध, जिसके लिए किसी बहुपक्षीय करार के अनुसरण में दोनों संविदाकारी पक्षों का दायित्व है और वे अभियोजन पर निर्णय लेने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करना चाहते हैं;

(ख) हत्या;

(ग) नरसंहार अथवा आपराधिक हत्या;

(घ) शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला अथवा घायल करने वाला कोई हमला, विद्वेषपूर्ण तरीके से घायल करना अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाना, भले ही ऐसा हमला किसी हथियार के द्वारा; किसी खतरनाक पदार्थ के द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया हो;

(ङ) कोई विस्फोट करना जिससे जीवन के खतरे में पड़ने तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका हो;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण किया जाना अथवा रखा जाना जिसकी मंशा या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए जीवन के लिए खतरा पैदा करने अथवा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने की हो:

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद रखा जाना, जिसकी मंशा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए जीवन के लिए खतरा पैदा करने की हो;

(ज) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा हिरासत के विरुद्ध प्रतिरोध करने अथवा इसे रोकने की मंशा से आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद का उपयोग किया जाना;

(झ) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से अथवा दूसरों की जिंदगी पर आने वाले खतरे की चिंता किए बिना जनोपयोगी संपत्ति अथवा अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना,

(ञ) बंधक बनाने सहित अपहरण, अप्राधिकृत बंदीकरण, छल-कपट द्वारा कैद अथवा अवैध गिरफ्तारी;

(ट) हत्या के लिए उकसाना;

(ठ) आतंकवाद से संबंधित अन्य कोई अपराध जिसे अनुरोध प्राप्त होने के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के अंतर्गत एक राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना गया है; और

(ड) उपरोक्त कोई अपराध करने के लिए किया गया प्रयास अथवा षडयंत्र अथवा ऐसा कोई अपराध करने वाले अथवा अपराध करने का प्रयास करने वाले के साथ सह-अपराधी के रूप में भाग लेना।

अनुच्छेद - छह

प्रत्यर्पण अथवा अभियोजन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति पर उसी देश के न्यायालयों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा 1में दर्शाए गए कारणों से प्रत्यर्पण से इंकार कर देता है, वह इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा, ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके। वे प्राधिकारी अपना निर्णय उसी प्रकार से लेंगे, जिस प्रकार ऐसे मामले में उस पक्ष के कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए किया जाता है।

3. यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में अभियोजन चलाने का निर्णय नहीं लेते, तो इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद- सात

प्रत्यर्पण से इन्कार के आधार

1. किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इंकार किया जा सकता है:

(क) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध व्यक्ति को उसके वंश, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनैतिक विचारधारा के लिए मुकदमा चलाने अथवा दण्डित करने के प्रयोजन से सामान्य आपराधिक कृत्य के लिए किया गया है; अथवा इनमें से किसी आधार पर व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है;

(ख) यदि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है वह सैनिक कानून के अंतर्गत एक अपराध है, जो सामान्य दाण्डिक कानून के तहत एक अपराध नहीं है;

(ग) यदि दोनों में से किसी भी संविदाकारी राष्ट्र के कानूनों के अनुसार कालातीत हो जाने के कारण अभियोजन अवरुद्ध हो गया हो; और

(घ) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के सक्षम अधिकारी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करते हैं कि तुच्छ प्रकृति के अपराध के कारणवश वांछित आरोपी अथवा दोषसिद्ध व्यक्ति को प्रत्यर्पित करना गैर-न्यायोचित अथवा दमनकारी होगा।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है, जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है तथा वह व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में पिछली रिहाई अथवा दोषसिद्ध होने संबंधी कानूनों के अंतर्गत रिहाई का हकदार है, तो उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद- आठ

मृत्यु दण्ड

यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अंतर्गत कोई व्यक्ति उस अपराध के लिए मृत्युदण्ड का हकदार है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है और अनुरोधपाप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून के तहत मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है; जब

तक कि अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के विचारानुसार इस बात का उपयुक्त आश्वासन नहीं देता कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो प्रत्यर्पण से इंकार कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद-नौ

अभ्यर्पण का आस्थगन

यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में प्रत्यर्पण के अनुरोध को मंजूर किया जाता है, जिस पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में मुकदमा चल रहा है या सजा काट रहा है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अपने कानूनों के अध्यधीन अभियोजन के प्रयोजन से वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राष्ट्र को अस्थायी रूप से अभ्यर्पित कर सकता है। इस प्रकार से अभ्यर्पित व्यक्ति को संविदाकारी राज्यों के करार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुरोधकर्ता राष्ट्र में हिरासत में रखा जाएगा और व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की समाप्ति के पश्चात अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को लौटा दिया जाएगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यर्पण की कार्रवाई स्थगित कर सकता है, जिसके विरुद्ध उस राज्य में मुकदमा चल रहा है अथवा वह वहां सजा काट रहा वांछित व्यक्ति का अभियोजन समाप्त होने तक या उस व्यक्ति को सुनायी गई सजा पूरी होने तक यह स्थगन जारी रह सकता है।

अनुच्छेद - दस

प्रत्यर्पण की प्रक्रियाएं

1. प्रत्यर्पण के लिए सभी अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा।

2. प्रत्यर्पण के लिए सभी अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:

(क) दस्तावेज, विवरण अथवा अन्य प्रकार की सूचना जिसमें वांछित व्यक्ति की पहचान और संभावित अवस्थिति का विवरण हो;

(ख) अपराध के तथ्यों को और मामले की प्रक्रियात्मक इतिहास को दर्शाने वाली सूचना;

(ग) उस अपराध के आवश्यक तत्वों को दर्शाने वाले कानून के उपबंधों का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है;

(घ) अपराध की सजा को दर्शाने वाले कानून के उपबंधों का विवरण; और

(ड.) इस अनुच्छेद के पैरा 3 अथवा पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेज, विवरण अथवा अन्य प्रकार की सूचना, जो भी लागू हो।

3. मुकदमा चलाने के लिए वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ निम्नलिखित भी होंगेः-

(क) किसी न्यायाधीश अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारंट अथवा गिरफ्तारी आदेश की प्रति;

(ख) आरोप संबंधी दस्तावेज, यदि कोई हो, की प्रति; और

(ग) यदि यह अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में किया गया है तो साक्ष्य के रूप में ऐसी सूचना जिससे कि व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे के लिए उसके कृत्य को न्यायोचित ठहराया गया है।

4. यदि कोई व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषसिद्ध है जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, तो उस व्यक्ति से संबंधित प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ निम्नलिखित भी होंगेः-

(क) दोषसिद्धि संबंधी निर्णय की प्रति या ऐसी प्रति उपलब्ध न हो तो किसी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के दोषसिद्ध होने के बारे में एक वक्तव्य;

(ख) यह स्थापित करने वाली सूचना कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध दोषसिद्ध हुआ है;

(ग) यदि वांछित व्यक्ति को सजा सुनाई गई हो तो सुनाई गई सजा की एक प्रति और यह स्पष्ट करने वाला विवरण कि कितनी सजा काटी जा चुकी है।

अनुच्छेद- ग्यारह

दस्तावेजों तथा साक्ष्यों की स्वीकार्यता

दोषसिद्धि के तथ्यों को स्थापित करने वाला साक्ष्य लिखित रूप में या शपथ पर की गई घोषणा या उसकी अनुपस्थिति में या ऐसे साक्ष्य अथवा घोषणाओं की सत्यापित प्रतियां या गिरफ्तारी वारंट या किसी अन्य प्रकार का कानूनी दस्तावेज़ जोकि प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ होंगे, को प्रत्यर्पण की कार्रवाई में वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार और शामिल किया जाएगा, यदि वे किसी न्यायाधीश अथवा अनुरोधकर्ता राष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे या उनके साथ किसी न्यायाधीश अथवा अधिकारी जैसे किसी अधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र होगा या इजरायल के मामले में न्याय मंत्रालय के मोहर द्वारा और भारत के मामले में विदेश मंत्रालय के मोहर द्वारा, अभिप्रमाणित होगा।

अनुच्छेद- बारह

अनंतिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिकता के मामलों में वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अनुसार अनुरोधकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारियों के आवेदन पर अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। आवेदन में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध को इंगित करने की सूचना और गिरफ्तारी वारंट या दोषसिद्ध होने का विवरण और यदि उपलब्ध हो तो उसका विवरण और इस प्रकार की और कोई सूचना, यदि कोई हो, जोकि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू-भाग में यदि अपराध किया गया होता या वांछित व्यक्ति सिद्ध दोष होता तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए न्यायोचित ठहराने के लिए आवश्यक होता। अनंतिम गिरफ्तारी के अनुरोध को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन (इंटरपोल) के माध्यम सहित किसी भी साधन से किया जा सकता है जोकि लिखित रिकॉर्ड की अनुमति देता हो।

2. किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति पर ऐसे किसी आवेदन पर गिरफ्तार किए गए उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा, यदि उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं होता है। यह उपबंध वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण की आगे की कार्रवाई को अवरुद्ध नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई अनुरोध बाद में प्राप्त होता है।

अनुच्छेद - तेरह

विशिष्टता का नियम

1. इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-भाग में प्रत्यर्पित किए गए किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के पैरा 2 में वर्णित अवधि के दौरान सिवाए निम्नलिखित के अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-भाग में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या सजा नहीं सुनाई जाएगी;

(क) वह अपराध जिसके संबंध में उसे प्रत्यर्पित किया गया हो;

(ख) कोई कम संबद्ध अपराध जो उन्हीं तथ्यों पर पर्याप्त रूप से आधारित हो और जिसे उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए साबित किया गया हो, परंतु ऐसा अपराध स्वयं ही प्रत्यर्पणीय हो।

(ग) कोई अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अपनी लिखित सहमति देगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में संदर्भित अवधि उस दिन से आरंभ होगी जब उसका अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में आगमन होगा अथवा इस संधि के अधीन उसका प्रत्यर्पण होगा और उसके बाद के किसी दिन के बाद 45 दिन समाप्त होने तक रहेगी जब उसे अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र को छोड़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान इस संधि के अधीन किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के बाद किए गए अपराध अथवा ऐसे अपराध के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू नहीं होंगे।

4. यदि किसी व्यक्ति ने उस देश के भू-भाग, जिसमें वह अभ्यार्पित किया गया था, को छोड़ने का अवसर पास होने के बावजूद अपनी अंतिम रिहाई के 60 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया है अथवा वह उस राष्ट्र को छोड़ने के बाद उस भू-क्षेत्र में वापस चला गया है तो उस व्यक्ति को किसी तृतीयक राज्य में पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद -चौदह

प्रतिस्पर्धा अनुरोध

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए दूसरे संविदाकारी राष्ट्र से अनुरोध प्राप्त करता है और किसी अन्य राष्ट्र से अथवा राष्ट्रों से अनुरोध प्राप्त करता है, जो दोनों में से उसी अपराध के लिए हो अथवा विभिन्न अपराधों के लिए हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र का सक्षम प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि वह उस व्यक्ति को किस राष्ट्र को अभ्यर्पित किया जाएगा। अपना निर्णय लेते समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र सभी संगत कारणों पर विचार करेगा जिनमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे, किंतु जो इतने तक ही सीमित नहीं होंगे।

(क) क्या अनुरोध किसी संधि के अनुसरण में किए गए;

(ख) वह स्थान जहां प्रत्येक अपराध किए गए;

(ग) अनुरोधकर्ता राष्ट्रों के संबंधित हित;,

(घ) अपराधों की गंभीरता;

(ड.) पीड़ित व्यक्ति और वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता;

(च) अनुरोधकर्ता राष्ट्रों के बीच आगे प्रत्यर्पण की संभावना; और

(छ) अनुरोधकर्ता राष्ट्रों से प्राप्त किए गए अनुरोध की आनुक्रमित तिथियां।

अनुच्छेद- पंद्रह

अभ्यर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है तो वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्थान के ऐसे सुविधाजनक स्थल तक भेजा जाएगा, जिसके बारे में संविदाकारी राष्ट्रों के बीच परस्पर सहमति हुई हो।

2. अंतिम रूप से प्रत्यर्पण प्रदान किए जाने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र तत्काल अनुरोधकर्ता राष्ट्र को सूचित करेगा कि वांछित व्यक्ति को उनके भू-भाग से निकाल लिया जाए। अनुरोधकर्ता राष्ट्र वांछित व्यक्ति को अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू-भाग से एक माह अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत स्वीकार्य ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर निकालेगा, यदि उसे उक्त अवधि के भीतर नहीं निकाला जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र उसी अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण करने से इंकार कर सकता है।

अनुच्छेद- सोलह

संपति का अभ्यर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोध पर और उसके कानूनों के अंतर्गत स्वीकार्य सीमा तक, अनुरोधकर्ता राष्ट्र को धनराशि सहित वे सभी दस्तावेज और वस्तुएं सौंप देगा जो गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे में पायी गई और जिसे अपराध के सबूत अथवा साक्ष्य के रूप में समझा जा सके।

2. यदि विचाराधीन वस्तुएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू-भाग में जब्त अथवा कब्जे में ली जाने योग्य हैं, तो वह राष्ट्र लंबित कार्यवाहियों के संबंध में उन्हें स्थायी तौर पर अपने पास रखेगा अथवा इस शर्त पर अनुरोधकर्ता राष्ट्र को सौंपेगा कि उक्त वस्तुएं लौटा दी जाएंगी।

3. ये प्रावधान वांछित व्यक्ति को छोड़कर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। जब ये अधिकार विद्यमान होंगे तब ये वस्तुएं अनुरोध किए जाने पर कार्यवाही समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र बिना प्रभार के अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को लौटा दी जाएंगी।

अनुच्छेद- सत्रह

त्वरित अभ्यर्पण

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राष्ट्र को अभ्यर्पित किए जाने की सहमति देता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अपने कानूनों के अध्यधीन प्रत्यर्पण की आगे कार्रवाई किए बगैर यथासंभव शीघ्र उक्त व्यक्ति को अभ्यर्पित कर देगा।

अनुच्छेद- अठारह

पारगमन

1. कोई संविदाकारी राष्ट्र किसी तीसरे राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को अभ्यर्पित व्यक्ति को अपने भू-भाग से होकर ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। पारगमन हेतु अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा। ऐसे अनुरोध को पेश करने के लिए इंटरपोल की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें पारगमन कराए जा रहे व्यक्ति के हुलिए का वर्णन और मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा। पारगमन कराए जाने वाले व्यक्ति को पारगमन की अवधि के दौरान अभिरक्षा में रखा जा सकेगा।

2. जहां विमान द्वारा परिवहन होता है और संविदाकारी राष्ट्र के भू-क्षेत्र पर विमान का ठहराव नियत नहीं है, वहां कोई प्राधिकार वांछित नहीं होगा। यदि दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के भू-क्षेत्र में विमान का अनियत ठहराव किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राष्ट्र इस अनुच्छेद के पैरा 1 में की गई व्यवस्था के अनुसार पारगमन हेतु अनुरोध की अपेक्षा कर सकता है। संविदाकारी राष्ट्र पारगमन हेतु अनुरोध प्राप्त हो जाने तक पारगमन किए जाने वाले व्यक्ति को रोक सकता है और पारगमन तब प्रभावी किया जाएगा जब अनुरोध प्राप्त होगा जोकि अनियत ठहराव के 96 घंटे के भीतर होगा।

अनुच्छेद - उन्नीस

प्रत्यर्पण के पारस्परिक विधिक सहायता

प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र अपने कानूनों के तहत स्वीकार्य सीमा तक दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के लिए उस अपराध के संबंध में आपराधिक मामले में पारस्परिक सहायता के व्यापक उपाय करेगा जिसके लिए प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध किया गया है

अनुच्छेद - बीस

भाषा

इस संधि के अंतर्गत अनुरोध और उससे संबद्ध समर्थन दस्तावेजों को अंग्रेजी में अथवा अंग्रेजी में अनुवाद के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुच्छेद-इक्कीस

व्यय

1. प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के प्रयोजनार्थ अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू-भाग में होने वाले व्यय का वहन उस राष्ट्र द्वारा किया जाएगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र ऐसी सभी व्यवस्थाएं करेगा जो अनुरोधकर्ता राष्ट्र के अनुरोध से उत्पन्न किसी कार्यवाही में उसके प्रतिनिधित्व के संबंध में अपेक्षित हों।

अनुच्छेद-बाइस

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के अधीन दायित्व

वर्तमान संधि संविदाकारी राष्ट्रों के बीच उन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों से उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी, जिनके वे पक्षकार हैं।

अनुच्छेद-तेइस

परामर्श

भारत गणराज्य और इजरायल राज्य के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे से प्रत्यक्ष तौर पर अथवा इंटरपोल की सुविधा के माध्यम से व्यक्तिगत मामले में कार्यवाही के संबंध में और इस संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियाओं के सम्पोषण और सुधार को बढ़ावा देने हेतु परामर्श कर सकेगी।

अनुच्छेद- चौबीस

अंतिम प्रावधान

1. वर्तमान संधि प्रभावी होने के बाद किए गए अनुरोधों पर लागू होगी चाहे संबंधित कृत्य अथवा चूक उस तिथि से पूर्व घटित हुई हो।

2. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी। प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र राजनयिक माध्यमों से संधि को प्रभावी करने के लिए वांछित अपनी विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बारे में दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को लिखित में यथाशीघ्र सूचित करेगा। यह संधि पिछली अधिसूचना की तारीख के बाद दूसरे माह के पहले दिन से प्रभावी होगी।

3. यह संधि अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगी। तथापि, कोई संविदाकारी राष्ट्र दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकता है। इसकी समाप्ति ऐसे नोटिस की तारीख के छह माह बाद प्रभावी होगी।

4. यह संधि समाप्त होने के बावजूद समाप्ति के नोटिस की तारीख से पहले प्रस्तुत किए गए प्रत्यर्पण के अनुरोधों को लागू होती रहेगी।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किए जाने पर इस संधि पर हस्ताक्षर किया है।

आज जेरुसलम के 10 जनवरी, 2012 दिन हिब्रू कैलेण्डर के अनुसार 15टेवेट, 5772 है। हिंदी, अंग्रेजी और हिब्रू भाषाओं में दो-दो प्रतियों में संपन्न सभी पाठ सामान्य रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

इजरायल गणराज्य की सरकार
की ओर से

[सं.टी-413/11/2003]

देवेश उत्तम, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th February, 2021

S.O. 551(E).—WHEREAS, the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and Government of the State of Israel was signed at Jerusalem on 10th day of January, 2012;

AND WHEREAS, the said treaty entered into force with effect from the 1st day of October, 2017 in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 24 of the said Treaty;

AND WHEREAS, the said treaty is set out in full in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the State of Israel with effect from the date of entry into force of the said extradition treaty.

SCHEDULE

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the "Contracting States");

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders; and

Recognizing that concrete steps are necessary to combat crime, including terrorism;

Have agreed as follows:

Article 1

Duty to Extradite

1. Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

(a) if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting State bases its jurisdiction on the nationality of the offender; and

(b) if it occurred in the Requested State, it would be an offence under the law of that State punishable with imprisonment for a term of at least one year.

Article 2

Extradition Offences

1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

2. If extradition has been granted for an extradition offence, it may also be granted for any other offence specified in the request, even if the latter offence is punishable by less then one year's deprivation of liberty, provided that all other requirements for extradition are met.

Article 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if in corresponding circumstances, the Requested State would have jurisdiction over such an offence. In considering extradition, the Requested State may consider the conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole.

Article 4

Extradition of Nationals

1. Neither of the Contracting States shall be obligated to extradite its own nationals.

2. If extradition is refused solely on the basis of nationality of the person sought, the Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its authorities for consideration of prosecution.

3. Nationality shall be determined at the time of commission of the offence for which extradition is requested.

Article 5

Political Offence

1. Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.

2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:

(a) any offence for which both Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution;

(b) murder;

(c) manslaughter or culpable homicide;

(d) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;

(e) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

(f) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;

(g) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;

(h) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

(i) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

(j) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;

(k) incitement to murder;

(l) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character;

(m) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

Article 6

Extradition and Prosecution

1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that state.

2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a similar nature under the law of that State.

3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 7

Grounds for Refusal of Extradition

1 Extradition of a person may be refused:

(a) if the Requested State has substantial grounds for believing that a request for extradition for an ordinary criminal offence has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nationality or political opinion, or that person's position may be prejudiced for any of these reasons; or

(b) if the offence for which extradition is requested is an offence under military law which is not an offence under ordinary criminal law; or

(c) if the prosecution has become barred by lapse of time according to the laws of either of the Contracting States; or

(d) if the competent authority of the Requested State determines that, having regard to all the circumstances, it would be unjust or oppressive to extradite the person sought by reason of the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted.

2. A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

Article 8

Capital Punishment

If under the law of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 9

Postponement of Surrender

1. If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested State, the Requested State, subject to its laws, may temporarily surrender the person sought to the Requesting State for the purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting State and shall be returned to the Requested State after the conclusion of the proceedings against the person, in accordance with conditions to be determined by agreement of the Contracting State.

2. The Requested State may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who is serving a sentence in that State. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed.

Article 10

Extradition Procedures

1. All requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channels.

2. All Requests for extradition shall be supported by:

(a) documents, statements, or other types of information which describe the identity and probable location of the person sought;

(b) information describing the facts of the offence and the procedural history of the case;

(c) a statement of the provisions of the law describing the essential elements of the offence for which extradition is requested;

(d) a statement of the provisions of the law describing the punishment for the offence; and

(e) the documents, statements, or other type of information specified in paragraph 3 or paragraph 4 of this Article, as applicable.

3. A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall also be supported by:

(a) a copy of the warrant or order of arrest, issued by a judge or other competent authority;

(b) a copy of the charging document, if any; and

(c) such information an evidence as would justify the committal for trial of the person if the offence had been committed in the Requested State.

4. A request for extradition relating to a person who has been convicted of the offence for which extradition is sought shall also be supported by :

(a) a copy of the judgment of conviction or, if such copy is not available, a statement by a judicial authority that the person has been convicted;

(b) information establishing that the person sought is the person to whom the conviction refers;

(c) a copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement establishing to what extent the sentence has been carried out;

Article 11

Admissibility of Documents and Evidence

The evidence in writing, or the declarations given on oath or not, or certified copies of such evidence or declarations, or the warrant of arrest or any other legal documents establishing the fact of the conviction, which accompany an extradition request, shall be received and admitted as valid evidence in extradition proceedings if they have been signed by a judge or official of the Requesting State or if they are accompanied by a certificate issued by such a judge or official or if they have been authenticated by the seal of the Ministry of Justice in the case of Israel and by the seal of the Ministry of External Affairs in the case of India.

Article 12

Provisional Arrest

1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of a warrant of arrest or a conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested State. The request for provisional arrest may be made by any means, including through the International Police Organisation (INTERPOL), which allows for a written record.

2. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

Article 13

Rule of Specialty

1. Any person who is extradited to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be detained, tried, or punished in the territory of the Requesting State except for :

(a) the offence in respect of which he was extradited:

(b) any lesser included offence substantially based on the same facts proved for the purposes of securing his extradition, provided that such an offence is itself extraditable ; or

(c) any other extraditable offence in respect of which the Requested State will provided its written consent.

2. The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting State or his extradition under this treaty and ending forty five days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting State.

3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the extradition of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

4. A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

Article 14

Competing Requests

If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other State or States for the extradition of the same person, either for the same offence or for different offences, the competent authority of the Requested State shall determine to which State it will surrender the person. In making its decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

(a) Whether the requests were made pursuant to a treaty;

(b) the place where each offence was committed;

(c) the respective interests of the Requesting States;

(d) the gravity of the offences;

(e) the nationality of the victim and of the person sought;

(f) the possibility of further extradition between the Requesting States and

(g) the chronological order in which the requests were received from the Requesting States.

Article 15

Surrender

1. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such convenient point of departure as may be mutually agreed to between the Contracting States.

2. Upon the final grant of extradition, the Requested State shall immediately inform the Requesting State that the person sought may be removed from its territory. The Requesting State shall so remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

Article 16

Surrender of Property

1. When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting State documents and articles including sums of money found in his possession at the time of arrest, which may serve as proof or evidence of the offence.

2. If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they shall be returned.

3. These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

Article 17

Expeditious Surrender

If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings.

Article 18

Transit

1. Either Contracting State may, in accordance with its laws, authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channel. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person

being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be detained in custody during the period of transit.

2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Contracting State. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Contracting State, the other Contracting State may require the request for transit as provided in paragraph (1) of this Article. That Contracting State shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, as long as the request is received within 96 hours of the unscheduled landing.

Article 19

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 20

Language

A request under this Treaty and the supporting documents thereto shall be provided in English or with a translation in English.

Article 21

Expenses

1. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State.

2. The Requested State shall make all the arrangements which shall be required with respect to the representation of the Requesting State in any proceeding arising out of the request.

Article 22

Obligation under International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations between the Contracting States arising from International Convention/Treaties to which they are Parties.

Article 23

Consultation

The competent authorities of the Republic of India and the State of Israel may consult with each other directly or through the facilities of Interpol in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

Article 24

Final Provisions

1. The present Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date.

2. This Treaty shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedure required for the entry into force of the Treaty. The Treaty shall come into force on the first day of the second month following the date of the last notification.

3. The Treaty shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.

4. Notwithstanding the termination, the Treaty shall continue to apply to requests of extradition submitted before the date of the notice of termination.

In witness whereof, the Undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate at Jerusalem on this the 10th day of January, 2012 which corresponds to the 15 day of Pevet, 5772 in the Hebrew Calendar, in the Hindi, English and Hebrew languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of India	On behalf of the Government of the State of Israel

[No. T-413/11/2003]

DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.08 16:10:08 +05'30'